न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-412RAAJodhpur2021-145RTA223 Kayamdeen Vs Ramjan etc

कायमदीन पुत्र फतेह मोहम्मद, जाति मुसलमान सिपाही, निवासी- मयाकोरिया, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. रमजान पुत्र फतेह मोहम्मद, जाति मुसलमान सिपाही, निवासी- मयाकोरिया, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 जून 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 230/2018 रमजान बनाम कायमदीन इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 230/2018 रमजान बनाम कायमदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

28.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र डिक्री पर्चा की नकल पेश करने की बाध्यता की छूट हेतु प्रस्तुत किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 32 रकबा 28.15 बीघा (4.6539 हैक्टेयर) ग्राम मयाकोरिया तहसील फलोदी के संबंध में अपीलांट के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05 जून 2018 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की तामील करवाये बिना ही एकतरफा कार्यवाही भी अमल में लाये बिना ही निर्णय पारित किया है जो कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद को साबित ही नहीं किया गया है, न ही वाद में विवाद बिंदु कायम किया गया है, जिसका निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जबकि विवादित बिंदु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी व वादी के मध्य बंटवाड़ा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी

29-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विवाद है। सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए बंटवाड़ा का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है तथा कैम्प कोर्ट में ले जाकर बिना सुनवाई के प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बाप से ट्रांसफर होकर आई थी तथा प्रतिवादी की अनुपस्थिति में ही बिना तारीख के ही पत्रावली को पेशी पर लेकर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी वर्तमान में मौके पर प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाड़ा किये जाने हेतु पटवारी द्वारा कहा गया, जिस पर जानकारी हुई तथा अपीलांट द्वारा प्रथमबार जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश की है।

प्रार्थना पत्र वास्ते डिक्री की छूट बाबत पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में डिक्री नहीं बनाई गई है, जिससे अपीलांट द्वारा आलौच्य डिक्री की प्रमाणित प्रति अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही की जा सकी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जावे तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 जून 2018 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा वाद का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

20-11-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर नियमानुसार सम्मनों की तामील करवाये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट का कथन भी सही नहीं है कि सभी सहखातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त आराजी के केवल दो ही सहखातेदार है अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक, जो मामले में पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन/हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पारित किये जाने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट के द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विलंब पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

प्रार्थना पत्र वास्ते डिक्री पर्चा की छूट के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के पश्चात डिक्री पर्चा तैयार नहीं

20-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार को निर्देश जारी किये है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं तथा न ही अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के गलत होने अथवा हिस्से के बारे में विवाद होने का तथ्य उठाया है।

अपीलांट का उज्र है कि वादी द्वारा सभी सहखातेदारान् को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इस संबंध में उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी के दो ही सहखातेदार वादी रमजान एवं प्रतिवादी कायमदीन है, जिससे अपीलांट्स का यह उज्र समाप्त हो जाता है।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 230/2018 रमजान बनाम कायमदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री

20-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 05 जून 2018 यथावत रखे जाते है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 दिसंबर 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.11.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर